//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 164/2016

उनवान

1. मंगला पुत्र भैरू **फौत** जरियें वारिस
1/1. छोटी देवी पत्नि मंगला
1/2. मंजू पुत्री मंगला
1/3. सन्ना पुत्री मंगला
1/4. लाली पुत्री मंगला
1/5. दीपा पुत्री मंगला
1/6. लक्ष्मण पुत्र मंगला
2. कालू पुत्र भैरू, समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद

——वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :—16.8.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 3949/4700 हाल खसरा नम्बर 371 रकबा 1.06 की आराजी वादीगण को नियमन हुयी है। नामान्तकरण संख्या 600 दिनांक 28.02.2002 से उक्त आराजी का नामान्तकरण वादीगण के नाम किया गया। हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज कराने हेतु तहसीलदार नसीराबाद को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा उकत आवेदन पर सक्षम न्यायालय में जाने हेतु सलाह लिखित में दी गयी। अबंदोबसत विभाग द्वारा आराजी मुतनाजा को गलत तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः आराजी मुताजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वर्तमान में सिवायचक है। वादीगण के कब्जे के कोई दस्तावेज संलग्न नही है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने के कारण राजहित प्रभावित होता है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की वैधिक कब्जाशुदा है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्ती योग्य है ?

——— वादीगण

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व कालू का शपथ पत्र पेश किया। राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 3949/4700 रकबा 6-11-0 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 1 में सिवायचक दर्ज है। तथा उक्तआराजी नियमन से वादीगण के नाम दर्ज होने का नोट अंकित है। हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 371 रकबा 1.06 सिवायचक दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वंर्किग व हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उन्हे आराजी मुतनाजा का नियमन हुआ हे किन्तु नियमन से पूर्व व बाद में आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्व करने हेतु खसरा गिरदावरी अथवा अन्य राजस्व अभिलेख पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा पर कब्जे के अभाव में नियमन के तथ्य सिद्व नही माने जा सकते है। वादीगण का उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त सिद्व नही होता है। आराजी मुतनाजा सिवायचक होने के कारण राजहित प्रभावित होते है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन भी किया है तथा अपने जवाब में कब्जे के सबंध में आपत्ति भी पेश की है। इसके उपरान्त भी वादीगण ने कब्जा सिद्व करने हेतु ठोस अभिलेखिय साक्ष्य पेश नही किये है। तनकी विय. वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार गाम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 371 रकबा 1.06 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मंगला बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 164/2016
पेश करने की दिनांक – 21.10.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

गाम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 371 रकबा 1.06 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:54 IST
Reason: SelfAttested